भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 56 (आर ई - 2010) /2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 8 जून, 2011

विषयः- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 18.02.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं0 41 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 31.03.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है । यह संशोधन तत्काल प्रभाव से किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या 24 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 18.02.2011 की क्रम सं0 44.01 पर मद विवरण के लिए अधिसूचना सं0 41 (आर ई-2010)/2009-2014 दिनांक 31.03.2011 के पैरा 2 में आने वाले "170 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित" को "200 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) या समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :

बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज के अलावा प्याजों का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 200 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य होगा। यह 31.03.2011 को यथाअधिसूचित 170 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था। बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो 350 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य ही रहेगा।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/ए एम'08/नीति 3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)